न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –22/2014 एवं अपील संख्या 23/2014 जिला दौसा

1. मूल्या
2. सांवल्या
3. रामफूल
4. हजारी
5. हीरालाल

पि. श्योराम, जाति मीना, निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा ।
2. रामोतार पुत्र रामसहाय
3. रामसहाय पुत्र छोट्या उर्फ छोटू

जाति मीना, निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 4.7.2014 बाबत नामांतरकरण संख्या 354 ग्रम चिमनपुरा दिनांक 2.7.2008, तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा द्वारा तस्दीक किया गया ।

अपील संख्या – 23/2014 जिला दौसा

1. मूल्या
2. सांवल्या
3. रामफूल
4. हजारी
5. हीरालाल

पि. श्योराम, जाति मीना, निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राज.)

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा ।
2. रामोतार पुत्र रामसहाय
3. रामसहाय पुत्र छोट्या उर्फ छोटू

जाति मीना, निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 4.7.2014 बाबत नामांतरकरण संख्या 402 ग्रम शिवसिंहपुरा दिनांक 2.7.2008, तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा द्वारा तस्दीक किया गया ।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री लालचन्द जाट
2. वकील रेसपोंडेन्ट श्री हेमन्त सौगानी

निर्णय

दिनांक– 23.01.2018

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपील संख्या 9/2009 एवं 10/2009 उनवानी मूल्या बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 4.7.2014 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम चिमनपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा के खाता संख्या 87 के खसरा नम्बर किता 11 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा मे से 1/6 हिस्से एवं खाता संख्या 99 के खसरा नम्बर 29/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में से 1/3 हिस्से का खातेदार घासी पुत्र छोट्या मीना था । खातेदार घासी पुत्र छोट्या के फौत होने पर रजिस्टर्ड वसियत दिनांक 12.11.91 के आधार पर नामांतरकरण संख्या 354 रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामावतार पुत्र रामसहाय के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 2.7.2008 को स्वीकार किया गया ।

ग्रम शिवसिंहपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित खाता संख्या 38 के खसरा संख्या किता 3 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा , खाता संख्या 39 के खसरा नम्बर 305 रकबा 0.04 बिस्वा में हिस्सा 1/6 एवं खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 440/306 रकबा 0.06 बिस्वा में हिस्सा 1/3 का खातेदार घासी पुत्र छोट्या मीना था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 402 रजिस्टर्ड वसियत दिनांक 12.11.91 के आधार पर तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 2.7.2008 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामावतार पुत्र रामसहाय के नाम स्वीकार किया गया ।

उक्त दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ पृथक पृथक दो अपीलें न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष मूल्या पि. श्योराम वगैहरा द्वारा प्रस्तुत की जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.7.2014 से प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड वसियतनामा के आधार पर तस्दीक किये जाने से उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हुये खारिज की जाकर नामांतरकरण संख्या 354 व 402 दिनांक 2.7.2008 बहाल रखे हैं ।

अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 4.7.2014 के खिलाफ अपीलान्ट्स मूल्या वगैहरा द्वारा यह दोनों अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.7.2014 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 354 व 402 दिनांक 2.7.2008 निरस्त किये जाकर मृतक खातेदार घासी पुत्र छोट्या की विरासत के नामांतरकरण अपीलांन्ट्स के नाम खोले जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी का खातेदार घासी पुत्र छोट्या था, जो नाऔलाद फौत हुआ था । मृतक खातेदार घासी अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 का पारिवारिक सदस्य था । अपीलान्ट्स मृतक खातेदार घासी के भाई श्योराम के पुत्र होने एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 रामसहाय, घासी का भाई होने से अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 रामसहाय का घासी की भूमि में बराबर का अधिकार है , लेकिन घासी की विरासत के नामांतरकरण वसियत के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामावतार पुत्र रामसहाय ने अपने नाम तस्दीक करवा लिये । उनका कहना था मृतक घासी ने मृत्यु से लगभग 2 माह पूर्व ही लिखावट लिख कर मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति में उसके भ्राता श्योराम के पुत्रान (अपीलान्ट्स) व भ्राता रामसहाय रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 का समान हक व अधिकार होना जाहिर किया था, जो अंतिम वसियत व लिखावट है । तहसीलदार लालसोट ने घासी की विरासत के नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नहीं देने से उक्त लिखावट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नही की गई थी । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार लालसोट श्री बिरदी चन्द जोरवाल का स्थानान्तरण हो गया था , लेकिन स्थानान्तरण के बाद प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में कानूनी त्रुटि की है । उनका कहना था कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य नियमित राजस्व वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन थे , लेकिन वाद के विचाराधीन रहते तहसीलदार द्वारा

प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश में वाद के विचाराधीन होने का उल्लेख करते हुये अपीलान्ट की अपीले खारिज कर नामांतरकरण बहाल रखने में विधिक त्रुटि की है । पक्षकारान के मध्य राजस्व वाद के विचाराधीन रहते एवं वाद में उनके हक हकूकों का निर्धारण होने की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर वाद के निर्णय तक नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को स्थगित करनी चाहिये थी , लेकिन ऐसा नहीं कर गलत रूप से तस्दीक नामांतरकरणों को बहाल रखकर विधिक भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नहीं किया कि वसियत के 17 वर्ष पश्चात् प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक हुये हैं एवं खातेदार घासी की मृत्यु वसियत करने के काफी लम्बे अर्से बाद वर्ष 2008 में हुई थी । प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जाकर मृतक घासी की विरासत के नामांतरकरण अपीलान्ट्स के हक में तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार घासी द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामावतार पुत्र रामसहाय के हक में रजिस्टर्ड वसियतनामा तहरीर कराया था एवं तहसीलदार लालसोट द्वारा मृतक घासी की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण रजिस्टर्ड वसियत दिनांक 12.11.91 के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामावतार के नाम तस्दीक किये हैं । उनका कहना था कि तहसीलदार के समक्ष रजिस्टर्ड वसियत के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था । यदि रजिस्टर्ड वसियतनामें से अपीलान्ट्स को कोई आपत्ति है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में वसियत को चुनौती देनी चाहिये । रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामावतार द्वारा खातेदार घासी की सेवा चाकरी करता था एवं घासी की मृत्यु के बाद कियाकर्म आदि भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामावतार द्वारा ही किये गये थे । मृतक घासी का जायज वारिस रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामावतार ही है । विवादित भूमि के संबधं में अपीलान्ट्स द्वारा उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत किये हुये हैं, जो विचाराधीन है जिनमें ही अपीलान्ट्स के हक हकूकों का निर्धारण होना है । नामांतरकरण तो एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिससे पक्षकारों के हक हकूकों का निर्धारण नहीं होता । उनका कहना था कि जब तक रजिस्टर्ड वसियत सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं होती तब तक उसके आधार पर तस्दीक नामांतरकरण को विधिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण रजिस्टर्ड वसियतनामें के आधार पर तस्दीक होने के कारण उनमें कोई हस्तक्षप किया जाना उचित नहीं मानते हुये अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज कर प्रश्नगत नामांतरकरण बहाल रखे हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट में कोई सार नही होने से खारिज की जावे । उनके द्वारा 2001 आर.आर.डी. पेज 143, 2006 आर.बी.जे. पेज 133 एवं 2000 आर.आर.डी. पेज 556 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार घासी के नाऔलाद फौत होने पर उसकी की विरासत का है । घासी की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार लालसोट द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामावतार के नाम रजिस्टर्ड वसियत के आधार पर तस्दीक किये गये हैं । अपीलान्ट्स खातेदार घासी के भाई श्योराम के पुत्र होने से घासी की भूमि में हिस्सा चाहते हैं । प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट्स की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अति . कलक्टर दौसा ने तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड वसियतनामें के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये जाने से उनमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हुये अपीलाधीन आदेशों से खारिज की है । अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि के संबंध उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत किये हुये हैं, जो विचाराधीन है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार घासी पुत्र छाज्या की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 354 व 402 तहसीलदार लालसोट द्वारा रजिस्टर्ड वसियत दिनांक 12.11.2991 के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामोतार पुत्र रामसहाय के नाम तस्दीक किये गये हैं । उक्त दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट मूल्या की दोनों अपीलें प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड वसियतनामा के आधार पर तस्दीक किये जाने से उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हुये न्यायालय अति. जिला कलक्टर

दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.7.2014 से खारिज की जाकर नामांतरकरण संख्या 354 व 402 दिनांक 2.7.2008 बहाल रखे हैं । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । प्रश्नगत नामांतरकरण रजिस्टर्ड वसियत के आधार पर तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जा चुका है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अपीलान्ट्स को यदि रजिस्टर्ड वसियतनामें से कोई ऐतराज या आपत्ति हैं तो वे उसे निरस्त कराने के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि के संबंध उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत वाद में ही उनके हक हकूकों का निर्धारण होना है । अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 4.7.2014 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 354 व 402 दिनांक 2.7.2008 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर